30.7.16

050

नगर पालिका परिषद जौनपुर - बोर्ड की बैठक दिनाँक 30.7.16 अपरान्ह 3-बजे टाउनहाल में हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहे:-

उपस्थिति:-

1.	श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव	अध्यक्ष
2.	श्रीमती दलगीरा	मान्य सभासद
3.	श्री संजय कुमार मौर्य	"
4.	श्रीमती दसवन्ती	"
5.	श्रीमती चम्पादेवी	"
6.	श्री ज्यारत हुसैन	"
7.	श्री कल्लू यादव	"
8.	श्री गुलाबचन्द	"
9.	श्री अतुल कुमार सिंह	"
10.	श्रीमती निर्मला देवी गुप्ता	"
11.	श्री अजय यादव	"
12.	श्रीमती शर्मिला देवी	"
13.	श्री जितेन्द्र कुमार	"
14.	श्री मो० जावेद खाँ	"
15.	कु० बुशरा खातून	"
16.	श्री प्रमोद कुमार	"
17.	श्री रमजान खाँ	"

अन्य मान्य सभासद जो मीटिंग में उपस्थित थे किन्तु उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति सूचक हस्ताक्षर करने से इन्कार किये कि पहले मीटिंग की कार्यवाही पूरी कर ली जाय, वे निम्न हैं:-

1.	श्री जगदीश कुमार सोनकर,	मान्य सभासद
2.	श्री गुलाबचन्द शाह	"
3.	श्री राकेश यादव	"
4.	श्री वकील अहमद मन्सूरी	"

बैठक की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व अध्यक्ष नगर परिषद, जौनपुर द्वारा इस पालिका में आये नये औद्योगिक अधिकारी श्री विजय कुमार का परिचय सदन में कराया गया। तदोपरान्त सदन में उपस्थित मान्य सभासदों का बैठक में स्वागत करते हुए मीटिंग की कार्यवाही शुरू करने हेतु अध्यक्ष ने औद्योगिक अधिकारी को निर्देश दिया।

Scanned with OKEN Scanner

बैठक में मान्य सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि मीटिंग में चर्चायें तो बहुत होती हैं, किन्तु सारी बातें नोट नहीं की जाती हैं, ऐसा क्यों? इस पर मा० अध्यक्ष ने अवगत कराया कि जो जायज बातें प्रस्ताव से सम्बन्धित होती हैं, उसे ही प्रोसीडिंग बुक पर लिखा जाता है इसके अलावा जो अतिरिक्त पर बातें होती हैं उसको प्रोसीडिंग बुक में लिखने का कोई औचित्य ही नहीं है।

आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि कृपया प्रस्ताव सं० 25 '4' व उसका निर्णय पढ़ा जाय। मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से श्री श्रीमोहन यादव द्वारा सदन में 25-5-96 का प्रस्ताव सं० 25 '4' व उसका निर्णय पढ़ा गया, जिसपर टिप्पणी करते हुए मान्य सभासद ने कहा कि इस प्रस्ताव पर तो काफी चर्चा की गई थी, लेकिन कम लिखा गया है, यदि लेकिन इसे मान भी लिया जाय तो कृपया मा० अध्यक्ष जी बतायें कि जब एक बार नामान्तरण सम्बन्धी अधिकार पूर्व की बैठक में दिये गये थे तो इसे पुनः बोर्ड में लाने का कोई प्रश्न नहीं था। मा० अध्यक्ष की आज्ञा से कर अधीक्षक ने बताया कि मैंने कहा था कि जो एक्ट में अधिकार हैं, उसे बदला नहीं जा सकता है वैसे अध्यक्ष जी सर्वोपरि हैं, अतएव मामले में उनका अनुमोदन होना जरूरी है। आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि अधीक्षक महोदय - आपने जो कहा था वह सारी बातें कहां लिखी गयी हैं। कर अधीक्षक ने कहा कि मेरे विचार से नामान्तरण कार्य सम्बन्धी अधिकार बोर्ड की बैठक दिनांक 19-1-96 में ही अध्यक्ष को दिया गया था, और उसी के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि जब बोर्ड की विभागीय कमेटी गठित हो गयी है और विभाग के अध्यक्ष चुन लिये गये हैं तो उसकी वैधानिकता क्या है? आगे कर अधीक्षक ने बताया कि एक्ट के तहत पावर दिये गये हैं उसे बोर्ड समय-समय पर कमेटियों के सुझाव पर यथोचित आदेश पारित करने पर विचार कर सकती है। आगे श्री जगदीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि बोर्ड ने ~~मा० अध्यक्ष~~ चेयरमैन (वित्त) को पावर डेलीगेट कर दिया है तो 25-5-96 से अब तक क्या किया गया। कर अधीक्षक ने बताया कि पावर बोर्ड ने नहीं दिया है। आगे पुनः कर अधीक्षक ने कहा कि सदन ने नामान्तरण की प्रक्रिया का पावर प्रथम बैठक में दिया था, कमेटी को जब-जब आवश्यकता

बोर्ड डेलीगेट करेगी तो उसका मान्य किया जायेगा। आगे श्री जगदीश कुमार मान्य सभासद ने कहा कि आप बात को घुमा रहे हैं- अधीक्षक महोदय। आगे श्री जगदीश कुमार मान्य सभासद ने कहा कि आप जैसे समझ लिये कि अध्यक्ष जी का अधिकार समाप्त हो गया है, यदि अधिकार समाप्त नहीं था तो यह प्रस्ताव क्यों लाया गया। आप इस बात से इन्कार करती हैं कि यह प्रस्ताव आया नहीं है तो क्यों विचार किया जायेगा। कृपया यह बतायें कि आज किस परिस्थिति में इस प्रस्ताव को लाया गया, जबकि बोर्ड ने इसे में आपको अधिकार दिया था। आगे मान्य सभासद ने कहा कि यहाँ मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि एक्ट से विधि होती है, विधि से ऐक्ट नहीं- इसका भी ध्यान रखें- इसपर नियम दिखाने की बात कही गयी। आगे अध्यक्ष महोदया ने कहा कि यदि इस प्रस्ताव पर भ्रम है तो इसके लिये मैं यह चाहूँगी कि इस प्रस्ताव के बारे में अगले मीटिंग में चर्चा कर ली जायेगी।

आगे श्री वकील अहमद मंसूरी, मान्य सभासद ने कहा कि जब पिछली बैठक में कमेटी का चयन कर लिया गया तो किसी भी सभापति से कार्य नहीं कराया गया और उनके द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं की गयी और मनमाना ढंग से टी० एस० ने कार्यवाही कर ली है, इससे जनता को हरेश करना एवं धन उगाही के लिए किया गया है। मैं चाहता हूँ कि पिछली जो भी फाइल पर आदेश हुए हैं, उसे निरस्त करें, ताकि पिछली कार्यवाही फाईनल हो जाय। उन्होंने यह भी कहा कि इसके लिए अच्छा तो यही होगा कि एक-दो दिन में पुनः बैठक कर लिया जाय।

आगे अधिशासी अधिकारी ने बताया कि बाईलाज में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि पत्रावलियाँ फाइनेन्स कमेटी के माध्यम से जाना चाहिए। श्री जगदीश कुमार, मान्य सभासद ने कहा कि क्या आपने बाईलाज पढ़ा है, आप उसे देख लें कि अध्यक्ष के कितने पावर हैं। इसपर श्री अतुल कुमार सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से कर अधीक्षक बतायें कि इसमें क्या हो सकता है। कर अधीक्षक ने बताया कि 19-1-96 की बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने अध्यक्ष को अधिकार दिया है, और उसी के अनुरूप कार्य हो रहा है। इसी बीच विषम परिस्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण मा० अध्यक्ष ने बैठक को स्थगित करते हुए पुनः आगे की तिथि निर्धारित कर बैठक बुलाने सम्बन्धी सूचना मान्य सभासद को उनके निवास

पर मिल जायेगी कहते हुए बैठक की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। फिर भी श्री जगदीश कुमार मान सभासद ने कहा कि श्री संजय कुमार शुक्ला आपके यहाँ कोई है वे कभी मीटिंग में नहीं आते हैं क्या वे यहाँ उपस्थित हैं जबकि मैंने उन्हें मीटिंग में उपस्थित रहने हेतु पूर्व में पत्र दिया था, यदि हों तो उन्हें मीटिंग में उपस्थित किया जाय। इतने पर सदन से मान्य सभासद खड़े हो गये और मीटिंग स्थगित हो गयी।

(विजय कुमार)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद जौनपुर
30.7.96

सन्ध्यारानी श्रीवास्तव
(संध्यारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद जौनपुर
30.7.96

Scanned with OKEN Scanner